SH/- 1 -

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

क्रमांक प. 3 (1) (1) निमअ/सामा/2007 4872 दिनांक 27.9.07

परिपत्र

महिला अधिकारिता निदेशालय अधिकारियों, जिला एवं ब्लॉक स्तर /ग्राम पंचायत स्तर/ग्राम स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यालयों कार्यों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के भ्रमण एवं रात्रि विश्राम के मापदण्ड निम्नानुसार एतदद्वारा निर्धारित किये जाते है ।

अधिकारी/कर्मचारी के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के मापदण्ड (**Norms**)

क्रम संख्या	नाम अधिकारी	कार्यालय				
		विभाग	परियोजना निदेशक	प्रचेता	साथिन मुख्यालय	स्वयं सहायता समूह
1.	निदेशालय/अति0निदेशक/ सहायक लेखाधिकारी	वार्षिक	अर्द्धवार्षिक	वार्षिक	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
2.	~~परियोजना निदेशक~~ P.O. जि.म.वि.अ.	—	तीन बार	वार्षिक	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
3.	प्रचेता	—	—	तीन बार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार

अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक यात्रा एवं रात्रि विश्राम मापदण्ड

क्रम संख्या	नाम अधिकारी	यात्रा	रात्रि विश्राम
1	निदेशक/अति0निदेशक/उपनिदेशक/परि. नि. मुख्यालय/सहायक लेखाधिकारी	30	22
2	~~परियोजना निदेशक~~ P.O. जि.म.वि.अ.	112	75
3	प्रचेता जि.म.वि.अ.	180	72

1. निदेशालय स्तर के अधिकारी मापदण्डों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को निरीक्षण/पर्यवेक्षण के दिनांक के एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें ।

2. जिले के परियोजना निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्ष के आरम्भ में अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित कर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करे और स्वयं भी भ्रमण/रात्रि विश्राम करें एवं अधीनस्थों से भी करावें । इस परिपत्र में उल्लेखित भ्रमण, निरीक्षण, रात्रि विश्राम की उक्त निर्देशों की समीक्षा रिपोर्ट अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से प्रत्येक दो माह की समाप्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे

विशिष्ठ शासन सचिव
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर